प्रेस नोट *जनपद संकबीरनगर* *दिनाँक 18.07.2026*

साइबर अपराध के शिकार पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने दिलाई राहत, ₹10,000 की धनराशि कराई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के उद्देश्य से साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठगी के पीड़ित को ₹10,000 की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :-
वादी श्री बनरासी गुप्ता पुत्र स्व. रामअवध गुप्ता निवासी ग्राम एकमा, थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर ने दिनांक 08.05.2026 को साइबर हेल्प डेस्क थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) के माध्यम से कूटरचित एवं अवैध फिंगरप्रिंट का प्रयोग कर उनके बैंक खाते से ₹10,000 की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं अन्य माध्यमों से प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप पीड़ित के ₹10,000 उसके बैंक खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिए गए।

साइबर सेल टीम :-
प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), आरक्षी रविकान्त कुशवाहा, महिला आरक्षी शिवांगी सिंह, रि0आ0 अनुज शुक्ला, रि0आ0 ऋतिक वर्मा।

जनसामान्य से अपील :-
किसी भी अनजान कॉल, लिंक, OTP, QR कोड अथवा ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। यदि आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएं तो तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर आपकी धनराशि सुरक्षित कराई जा सके।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.07.2026 को न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-
वादिनी मुकदमा निरमा पुत्री कांग्रेस निवासी निघुरी केवटहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 13.05.2022 को अभियुक्तगण 01.दीपक साहनी 02.विकास साहनी पुत्रगण प्रहलाद साहनी 03.चंद्रावती पत्नी प्रहलाद साहनी 04.नीलम पुत्री प्रहलाद साहनी निवासी निघुरी केवटहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री हरेश तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-
मु0अ0सं0 86/2022 धारा 323,504 भादवि थाना बेलहरकला से सम्बन्धित प्रत्येक अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये (कुल 4000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03-03 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व गाली गलौज करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.07.2026 को न्यायाधिकारी माननीय ग्राम न्यायालय मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उमेश कुमार पुत्र पूर्णमासी प्रजापति ग्राम बेलवनवा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 21.09.2019 को अभियुक्त हरिप्रसाद पुत्र शिवपूजन ग्राम नई बाजार थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने व गाली गलौज करने के सम्बन्ध में थाना मेहदावल पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री रविंद्र प्रताप द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 214/2019 धारा 323,504 भादवि थाना मेहदावल से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.07.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0) एफटीसी /ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री राजू पुत्र स्वामीनाथ निवासी मदरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्ता शांति देवी पत्नी शिव प्रसाद निवासी मदरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री गोपाल दास पटेल द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

एनसीआर नं0 1083/2010 धारा 323,325,504,506 भादवि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्ता उपरोक्त को उक्त प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 7,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। प्राप्त अर्थदंड से क्षतिपूर्ति के रूप में ₹4000 वादी पक्ष को दिया जाएगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट व गोवध निवारण अधि0 के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.07.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री जगमुरत पुत्र लालमन निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त गोरखनाथ पुत्र राधेलखन निवासी रसुलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट व मारपीट के दौरान वादी के गाय को मारपीट कर घायल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री रामसिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मुअसं0 776/2007 धारा 352,428,504,506 भादवि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त को उक्त प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा वारण्टी अभियुक्त अजय कुमार पुत्र अम्बिका प्रसाद निवासी कालीजगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दिलीप कुमार सिंह, का0 सन्नी यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्तपताल– पीआरवी 6005 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत सांथा से कालर द्वारा सूचना दिया गया कि नशे की हालत में जानवर से टकरा जाने से घायल 01 व्यक्ति(पंजाबी पुत्र राजेन्द्र निवासी बरडाड़ थाना बखिरा जनपद सन्तकबीकनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 भरत कुमार सोनी, हो0गा0चा0 उमेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 243 वाहनों से 2,63,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 243 वाहनों से 2,63,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0स0 413/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस व 16/17 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राज राजभर उर्फ भोलू पुत्र राजेश निवासी फरेन्दिया(भरटोलिया) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनाँक 18.07.2026 को मेहदावल बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 20.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल - उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 कृष्णनारायण गौड़।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 225/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट व बढोत्तरी धारा-103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश मे आयी वांछित अभियुक्ता नीतु देवी पत्नी विजय कुमार सा0 तिघरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मडया चौराहा नेहरु स्कुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्ता द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मारपीट कर रहा था दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनाँक 06.06.2026 को फाँसी लगाकर मार देने के संबंध में वादी द्वारा थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना बकिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, का0 प्रवेश यादव, म0का0 सुनीता गौड़।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को साइबर हेल्प हेस्क थाना दुधारा द्वारा 7,141.65 रुपये की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना दुधारा टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक के फ्राड हुए 22,500 रुपये में से 7141.65 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री मोहनलाल, निवासी ग्राम विगरा अव्वल, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर ने दिनांक 30.01.2026 को शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को राजस्व अधिकारी बताकर ग्राम प्रधान कार्यकाल की अवशेष धनराशि दिलाने का झांसा देकर उनसे ₹22,500 की साइबर धोखाधड़ी कर ली। शिकायत प्राप्त होते ही साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी ऋषिकेश यादव द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई एवं प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम चरण में ₹7,141.65 की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करा दी गई। शेष धनराशि की वापसी हेतु संबंधित बैंक एवं अन्य संस्थाओं से निरंतर पैरवी की जा रही है तथा शीघ्र ही शेष धनराशि भी वापस कराई जाएगी। आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं साइबर हेल्प डेस्क की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सेल टीम:- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा (प्रभारी साइबर सेल), का0 अनुज कुमार, का0 ऋषिकेश यादव, रि0का0 हर्ष सिंह व म0रि0का0 एकता सिंह

अपील- जनमानस से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 17.07.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती मीरा देवी पत्नी हरिश्चन्द्र निवासी दलेलगंज मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त सन्नीदेवल यादव पुत्र बालकेश यादव निवासी दलेलगंज मीरगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी के साथ मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मुअसं0 1160/2023 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त को उक्त प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 20 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।